न्यायालय कलेक्टर जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण क्र./0198/अ-20(3)/2022-23 / 606

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग भोपाल (म.प्र.)
द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी (म.प्र.).
(वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि आवंटन बावत)

//आदेश//
(आज दिनांक.....19/05/2023.........को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग भोपाल (म.प्र.) द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी (म.प्र.).की ओर से ऑनलाइन आवेदन दिनांक 06.03.2023 प्रस्तुत कर सनघटा(ऐर) मध्यम सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम झिरनिया तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 02 रकबा 69.710 है. ,सर्वे क्रमांक 05 रकबा 18.40 है.,सर्वे क्रमांक 06 रकबा 20.710 है. एवं सर्वे क्रमांक 40/2 रकबा 145.57 है. में से 80.06 है. इस प्रकार कुल 188.880 है. भूमि वन विभाग को आवंटन किये जाने की मांग की गई।

प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी से प्रतिवेदन तलब किया गया, जिसके अंतर्गत नायाब तहसीलदार वृत सुभाषपुरा तहसील शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 0007/अ-20(3)/2022-23 में प्रतिवेदन दिनांक 10.04.2023 से प्रतिवेदित किया है कि, ग्राम झिरनिया तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 02 रकबा 69.710 है. ,सर्वे क्रमांक 05 रकबा 18.40 है. ,सर्वे क्रमांक 06 रकबा 20.710 है. एवं सर्वे क्रमांक 40/2 रकबा 145.57 है. में से 80.06 है. इस प्रकार कुल 188.880 है. भूमि सनघटा(ऐर) मध्यम सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को भूमि आवंटन के संबंध में उदघोषणा का प्रकाशन कर आपत्तियां बुलाई गई जिसमें नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। खसरा एंव अक्श नक्शा लाल स्याही से चिन्हित होकर प्रति संलग्न है। नायाब तहसीलदार वृत सुभाषपुरा ने प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी की ओर प्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी ने प्रकरण क्रमांक 0055/अ-20(3)/2022-23 प्रतिवेदन दिनांक 13/04/2023 से नायाब तहसीलदार वृत सुभाषपुरा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को अग्रेषित किया गया है।

प्रकरण में कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी द्वारा पत्र क्रमांक 394 दिनांक 13.02.2023 प्रेषित कर अवगत कराया कि, ग्राम झिरनिया तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 02 रकबा 69.710 है. ,सर्वे क्रमांक 05 रकबा 18.40 है. ,सर्वे क्रमांक 06 रकबा 20.710 है. एवं सर्वे क्रमांक 40/2 रकबा 145.57 है. में से 80.06 है. इस प्रकार कुल 188.880 है. का वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियो के साथ दिनांक 11.02.2023 को स्थल निरीक्षण किया गया वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियो द्वारा वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया तथा वन मण्डल अधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी द्वारा पत्र क्रमांक डीएम/2023/1153 दिनांक 16.03.2023 से ग्राम झिरनिया तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 02 रकबा 69.710 है. ,सर्वे क्रमांक 05 रकबा 18.40 है. ,सर्वे क्रमांक 06 रकबा 20.710 है. एवं सर्वे क्रमांक 40/2 रकबा 145.57 है. में से 80.06 है. इस प्रकार कुल 188.880 है. वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त होना बताया गया ।

26-05-23

प्रकरण में आवेदित भूमि सनघटा(ऐर) मध्यम सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित किए जाने के संबंध में जिला नजूल निर्वर्तन समिति शिवपुरी के

समक्ष प्रकरण रखा गया। समिति द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के प्रतिवेदन के आधार पर भूमि आवंटित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शिवपुरी एवं तहसीलदार शिवपुरी के प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत बम्हारी जनपद पंचायत शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 01/03/2023, नगर तथा ग्राम निवेश की अनापत्ति , जिला नजूल भूमि निर्वतन समिति की अनुशंसा के आधार पर ग्राम झिरनिया तहसील शिवपुरी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 02 रकबा 69.710 है. ,सर्वे क्रमांक 05 रकबा 18.40 है.,सर्वे क्रमांक 06 रकबा 20.710 है. एवं सर्वे क्रमांक 40/2 रकबा 145.57 है. में से 80.06 है. इस प्रकार कुल 188.880 है. भूमि सनघटा(ऐर) मध्यम सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-1 एंव मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वतन निर्देश 2020 की कण्डिका 16 के तहत मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल (म.प्र.) को बिना प्रब्याजी एंव भू-भाटक से मुक्त निम्न शर्तो के अधीन आवंटित की जाती है।

1. जल भराव,डूब क्षेत्र व विधुत प्रभावित क्षेत्र में यह अनापत्ति मान्य नहीं होगी;
2. प्रश्नाधीन भूमि पूर्व में किसी अन्य प्रयोजन हेतु आवंटित न हो;
3. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन किया जाना आवश्यक होगा;

प्रकरण में संलग्न अक्श-नक्शा भी आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार शिवपुरी आवंटित भूमि का खसरा में अमल कराये एंव संबंधित विभाग को सीमांकन कराकर आधिपत्य दिलाया जाकर खसरा की प्रति प्रकरण में संलग्न करायें। बाद कार्यवाही प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

19/05/23

कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

प्रकरण/क्र./0198/अ-20(3)/2022-23 / 606 शिवपुरी दिनांक 19/05/23

प्रतिलिपिः-
1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन वन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
4. वनमण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग शिवपुरी (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. तहसीलदार शिवपुरी की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल कराया जाकर संबंधित विभाग को भूमि का सीमांकन कराया जाकर अधिपत्य दिलायें एंव रिपोर्ट एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।
8. अधीक्षक भू-अभिलेख शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. राजस्व निरीक्षक नजूल (भू-अभिलेख) शिवपुरी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग शिवपुरी (म.प्र.)

कलेक्टर
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

पृ.क्र. 1124 A कार्य/समन्वय वन 1-6-23

प्रतिलिपि, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उप संभाग कुं० पिछोर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

190

(विनोद कुमार शर्मा)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग

Scanned with OKEN Scanner